[भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II खंड 3, उपखंड (i) , मे प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

स. 04/ 2014 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

नई दिल्ली, 24 जनवरी 2014

सा.का.नि (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 (1944 का 1) की धारा 3 क की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, चबाने वाली तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम चबाने वाली तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारणा और शुल्क का संग्रहण) प्रथम संसोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।

2. चबाने वाली तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारणा और शुल्क का संग्रहण) नियम 2010 में -

(i) नियम 5 में, सारणी के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेगे, नामांश :-

"सारणी

क्रम स0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	चबाने वाली तम्बाकू (फ़िल्टर खैनी सहित), अविनिर्मित तम्बाकू, और जर्दा से सुगन्धित तम्बाकू (पाउचों की संख्या) के प्रति माह प्रति प्रचालन पैकिंग मशीन की उत्पादन क्षमता		
		वे पाउच जिनमे चूना ट्यूब नहीं है	वे पाउच जिनमे चूना ट्यूब है	फ़िल्टर खैनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.00 रु0 तक	3993600	3793920	2745600
2	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनाधिक	3993600	3793920	2745600
3	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनाधिक	3594240	3394560	2608320
4	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनाधिक	3594240	3394560	2477904
5	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनाधिक	3354624	3154944	2354009
6	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनाधिक	3354624	3154944	2236308
7	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनाधिक	3354624	3154944	2124493
8	6. 00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनाधिक	3194880	2995200	2018268

9	7. 00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनाधिक	3194880	2995200	1917355
10	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनाधिक	3194880	2995200	1821487
11	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनाधिक	3194880	2995200	1730413
12	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनाधिक	3003187	2853028	1730413
13	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनाधिक	2822996	2681846	-
14	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनाधिक	2653616	2520935	-
15	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनाधिक	2494399	2369679	-
16	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनाधिक	2344735	2227499	-
17	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनाधिक	2204051	2093849	-
18	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनाधिक	2071808	1968218	-
19	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनाधिक	1947500	1850125	-
20	50.00 रु0 से अधिक	1947500	1850125	-”

(ii) नियम 6 में, उपनियम 3 में, तृतीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, नामांश :-

“परन्तु 24 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2014 की अवधि के लिए वार्षिक क्षमता उत्पादन की गणना जनवरी, 2014 मास की कुल दिन संख्या के आधार पर और 17 जनवरी, 2014 से आरम्भ होने वाली जिसमे 17 मार्च, 2014 भी शामिल है शेष मास के दिनों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से की जायगी।”

[फा. स. 354/120/2011 -टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना स. 11/2010 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी), तारीख 27 फरवरी, 2010 {सा.का.नि. 127 (अ), तारीख 27 फरवरी 2010} द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 मार्च 2012 में प्रकाशित किये गये थे और उसमें अंतिम संसोधन अधिसूचना सं. 20/ 2012 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी), तारीख 19 मार्च, 2012 {सा.का.नि. 226 (अ), तारीख19 मार्च, 2012} द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2 खंड 3. उपखंड (i) में प्रकाशित किये गये थे।